

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/226 ✓

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम देवपुरी की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 10, 83 में गीतादेवी पति उदय शक्ति उदयभक्त का नाम गीतादेवी पति उदयभक्त है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम गीतादेवी पति उदयभक्त है। जो संशोधित किया जाना उचित है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

(गीतादेवी)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम देवपुरी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 10, 83 में प्रार्थी का नाम गीतादेवी पति उदयभक्त दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम गीतादेवी पति उदयभक्त है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भूअ.नि. उदयभक्त

पटवारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी देवपुरी व भूअ0नि0 उदयभक्त एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम देवपुरी की जमाबन्दी सम्वत् 75 से 78 की खाता संख्या 10, 83 में प्रार्थी का नाम उदयभक्त के बजाय गीतादेवी पति उदयभक्त किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

गण = 164/22
10/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा, ग्राम देवपुरी जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 10, 83 में दर्ज प्रार्थी का नाम गीतादेवी पति उदयभक्त के स्थान पर गीतादेवी पति उदयभक्त संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
शाहपुरा(भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)